रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 1983/ज्येष्ठ 2, 1905

No. 232] NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 1983/JYAISTHA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

**का. आ. 377(अ)** :—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि ऐसी सभी शक्तियों का जिनका वह उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन प्रयोग कर सकती है, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा ।

[सं. 2/17017/18/82-आई.एस.-यू.एस.(डी. 2)]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd May, 1983

**S.O. 377(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercise by it under section 7 and section 8 of the said Act, shall be exercised also by the Chief Commissioner of the Union territory of Chandigarh.

[No. II/17017/18/82-IS-US(D.II]

**का. आ. 378(अ)** :—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त को, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराधों की बाबत अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. 2/17017/18/82-आई.एस.-यू.एस.(डी. 2)]

एल. एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**S.O. 378(E).**—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby authorises the Chief Commissioner of the Union Territory of Chandigarh to exercise the powers to sanction prosecution in respect of all offences punishable under the said Act in the Union Territory of Chandigarh.

[No. II/17017/18/82-IS-US(D.II)]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.



PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983